सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 11, मंगलवार, *शाके 1943*-नवम्बर 02, *2021*	
Kartika 11, Tuesday , Saka 1943- November 02, 2021	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2021

एस.ओ.528 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 26-04-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 26, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 55 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 56 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्ः-

“

56.	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित मदें	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) का ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह	1.00 लाख रुपये की वार्षिक सीमा के साथ प्रत्येक अवसर पर 10,000/- रुपये तक के अध्यधीन रहते हुए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद, जिनकी दरें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् द्वारा यथा अवधारित होंगी, प्रशासनिक विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित की जायेंगी।

”

[सं.एफ2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.